

“जिला न्यायालय देहरादून में किराये की फोटोकॉपी मशीन संस्थित किये जाने हेतु निविदा की नियम एवं शर्तें”

1. जिला न्यायालय देहरादून, बाह्य न्यायालय ऋषिकेश व विकासनगर में किराये की फोटोकॉपी मशीन दो वर्ष हेतु (वित्तीय वर्ष 2026–27 व 2027–28 अर्थात् 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2028 तक) संस्थित किये जाने हेतु निविदा प्रपत्र दिनांक 02.03.2026 से 16.03.2026 तक किसी भी कार्य दिवस में नजारत अनुभाग अथवा जिला न्यायालय की वेबसाइट <https://dehradun.dcourts.gov.in> से प्राप्त किये जा सकते हैं।

निविदा प्रपत्र रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से दिनांक 16.03.2026 तक इस कार्यालय में प्राप्त होना अनिवार्य होगा तथा दिनांक 20.03.2026 को सांय 04.00 बजे जिला न्यायालय, देहरादून के भूतल स्थित सभागार में उपस्थित निविदाताओं के समक्ष खोला जायेगा।

2. इच्छुक व्यक्ति/फर्म के प्रतिनिधि का नाम, पता एवं दूरभाष का होना अनिवार्य है।

3. इच्छुक व्यक्ति/फर्म का स्थाई खाता संख्या, आयकर पैन (PAN) कार्ड की प्रति संलग्न की जानी आवश्यक है।

4. निविदादाता व्यक्ति या फर्म द्वारा प्रति पेज फोटोकॉपी करने की दर सभी करों सहित उल्लेख करना आवश्यक है।

5. इच्छुक फर्म या निविदादाता का ट्रेड टैक्स विभाग का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है तथा रजिस्ट्रेशन की प्रति प्रदत्त की जानी आवश्यक है।

6. निविदा के प्रत्येक पृष्ठ पर फर्म की मुहर व हस्ताक्षर किये जाने आवश्यक है तथा निविदा प्रपत्र को के माध्यम से सीलबद्ध की जानी है। निविदा प्रपत्र के साथ मु० 1,000/— रुपये का आवेदन शुल्क ई-चालान के माध्यम से जमा कर संलग्न किया जायेगा।

7. निविदादाता फर्म द्वारा ₹ 30,000/—(तीस हजार रुपये) की एफ.डी.आर. राष्ट्रीयकृत बैंक की जो जिला न्यायाधीश, देहरादून के पक्ष में बन्धक हो, संलग्न किया जाना आवश्यक है। सफल निविदादाता को नीलामी की समस्त धनराशि एक मुस्त एक सप्ताह के अन्दर जमा करनी होगी। नीलामी की समस्त धनराशि अन्दर सप्ताह जमा न करने पर स्वतः ही निविदा निरस्त हो जायेगी एवं बंधक एफ.डी.आर. की धनराशि विभाग द्वारा जब्त कर ली जायेगी।

8. सफल निविदादाताओं के अतिरिक्त अन्य निविदाताओं की धरोहर धनराशि 15 दिन के भीतर वापस कर दी जायेगी।

9. प्रतिपूर्ति हेतु निविदादाता फर्म का पिछले वित्तीय वर्ष का टर्नओवर न्यूनतम् 10,00,000/—(दस लाख रुपये) होना चाहिये तथा इससे सम्बन्धित प्रमाणपत्र, निविदा के साथ संलग्न कराना आवश्यक है।

10. फोटोकॉपी मशीन जो जिला न्यायालय देहरादून, बाह्य न्यायालय ऋषिकेश व विकासनगर में संस्थित की जायेगी, वह डिजिटल होनी चाहिए, जो प्रतिमिनट कम से कम 40 प्रति, निकालने की क्षमता वाली हो।
11. संस्थान द्वारा मात्र कागज दिये जायेगे तथा मशीन की खराबी, टोनर व मरम्मत आदि की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
12. मशीन के खराब एवं कमी आने की स्थिति में व्यक्ति/निविदादाता फर्म को फोटोकॉपी करने हेतु वैकल्पिक व्यवस्था रखनी होगी।
13. सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
14. निविदाओं की शर्तें एवं आवेदन पत्र जिला न्यायालय, देहरादून की वेबसाइट <https://dehradun.dcourts.gov.in> अथवा नजारत अनुभाग से रु 1000/- का शुल्क ई-चालान के माध्यम से जमा कर प्राप्त किया जा सकता है, जो अप्रतिदेय होगा।
15. नीलामी हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले दोनो लिफाफे (Technical Bid & Financial Bid) को एक बड़े लिफाफे (Master Envelope) पर **“जिला न्यायालय देहरादून में फोटोकॉपी मशीन संस्थित किये जाने के संबंध में”** लिखना अनिवार्य है तथा सीलड मुहरबंद लिफाफे को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से दिनांक 16.03.2026 तक भेजना अनिवार्य होगा।
16. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त किये जाने का अधिकार समिति के पास सुरक्षित होगा।
17. किसी भी निविदा अथवा समस्त निविदाओं का बिना कारण बताये निरस्त किये जाने का अधिकार कय समिति के पास सुरक्षित होगा।

**जिला न्यायाधीश,
देहरादून।**

जिला न्यायालय, जिला देहरादून

जिला न्यायालय, जिला देहरादून हेतु फोटोकॉपी मशीन संस्थित किये जाने के संबंध में
निविदा प्रपत्र

1. फर्म का नाम—
2. फर्म के स्वामी का नाम—
3. फर्म का स्थानीय पता (दूरभाष सहित)—
4. फर्म का स्थाई पता—
5. व्यापार कर (पंजीकरण एवं प्रमाण पत्र)—
6. सेवा कर का प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो)—
7. धरोहर धनराशि का विवरण —
8. आवेदन शुल्क मु० 1000/— ई—चालान (रसीद सं०)—
 - (अ) राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम —
 - (ब) एफ० डी० आर० संख्या —
 - (स) धनराशि —
9. अन्य प्रमाण पत्र (यदि आवश्यक हो तो) —